भारत सरकार

परिणामी बजट

2011-12

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

689 MA/2011—1

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	**कार्यकारी सारांश**	i-iii
2	**अध्याय - I** मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	**1-5**
3	**अध्याय – II** योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां आदि	**6-12**
4	**अध्याय – III** नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय	**13-17**
5	**अध्याय - IV** पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा	**18-24**
6	**अध्याय–V** वित्तीय समीक्षा	**25-35**
7	**अध्याय–VI** मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	**36-37**

कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। परिणामी बजट 2011–12 में वर्ष 2009–10 और 2010–11 (31.12.2010 तक) के वित्तीय बजट एवं वास्तविक भौतिक कार्य–निष्पादन तथा वर्ष 2011–12 के वास्तविक कार्य–निष्पादन का उल्लेख है। परिणामी बजट आकलनीय कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी धनराशि के आबंटन और संवितरण के मध्य प्रभावी कड़ी स्थापित करने हेतु नीतिगत तंत्र के समान है।

2. परिणामी बजट 2011–12 में निम्नलिखित अध्यायों का उल्लेख है :

अध्याय I: इसमें मंत्रालय की संरचना, कार्यप्रणाली, नीतिगत ढांचा, लक्ष्य, मुख्य कार्यों इसकी अनिवार्यता और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय है।

अध्याय II: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित नतीजों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित नतीजों के मध्य तारतम्य स्थापित किया जा सके।

अध्याय III: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी जीवन स्थिति में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधार–उपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशेष संसाधन उपलब्ध कराते हुए लिंग संबंधी चिन्ताओं पर मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय IV: इसमें वर्ष 2009–10 और वर्ष 2010–11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान वास्तविक कार्य निष्पादन के लक्ष्यों का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

अध्याय V: इसमें हाल के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र प्रवृत्ति की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का भी उल्लेख है।

अध्याय VI: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

निगरानी तंत्र:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए विस्तृत बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना का अपना निगरानी तंत्र है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें– जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही आधार पर तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

छ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की दृष्टि से देश भर में राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

ज) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट http//www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है।

लोक सूचना प्रणाली:

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया है।

ख) मंत्रालय की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजना से संबंधित ब्यौरों के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट : www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

लिंग आधारित पहलें:

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना** के तहत वास्तवित लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना शुरू की जा रही है जो विशेषकर महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार अनौपचारिक रूप से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और उन्हें कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अध्याय - I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति नियोजन में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था ।

मंत्रालय के प्रमुख केबिनेट स्तर के मंत्री हैं तथा एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। मंत्रालय के सचिव की सहायतार्थ एक संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार और तीन संयुक्त सचिव हैं । तीन संयुक्त सचिवगण (क) नीति और नियोजन, (ख) संस्थान, मीडिया तथा मूल्यांकन और (ग) स्थापना, वक्फ एवं समन्वयन से जुड़े स्कन्ध के प्रमुख हैं । उनकी सहायतार्थ सात निदेशक/उप सचिव हैं । मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/स्टाफ की संख्या **94** है ।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. योजनागत कार्यक्रम/स्कीमें

i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान : मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठान को इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में 550 करोड़ रु.) के रूप में सहायता–अनुदान पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – वर्तमान संस्थानों के विस्तार/उन्नयन के लिए सहायता–अनुदान की योजना और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना ।

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी अंशदान : यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य सावधि ऋण और लघु-ऋण के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जाती है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 1500 करोड़ रु0 है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औपचारिक

689 MA/2011—2

ढंग से ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी **महिला समृद्धि योजना** का कार्यान्वयन भी करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

iii) निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना : इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परिक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है।

iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्क्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत जून, 2007 में हुई थी जिसे राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

v) अल्पंसख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत दिनांक 01.04.2008 से की गई जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

vi) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी. तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं

के लिए निर्धारित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन नवम्बर, 2007 से राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है।

vii) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान, जहां अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी है तथा जो परस्पर पिछड़े है और सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है, वर्ष 2007 में की गई थी। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अपर्याप्त विकास और सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा आधारभूत सुविधा की उपलब्धता के मध्य के अंतराल को कम करना है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता-अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत, 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

ix) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित की गई है। विकास का लाभ इन वंचित महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह योजना अल्पसंख्यक बहुल नगरों/गावों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से वंचित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन्हे नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने तथा सेवा, कौशल और अवसर प्राप्ति के संदर्भ में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जा सके।

x) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

इस योजना का कार्यान्वयन वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र और राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है।

xi) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों के शोध छात्रों को दी जाएगी। अध्येतावृत्ति का 30% शोध छात्राओं के लिए निर्धारित है।

xii) प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन से जुड़ी योजना : इस योजना का उद्देश्य 15-सूत्रीय कार्यक्रम सहित अल्पंसख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा लक्षित वर्ग से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख. गैर–योजनागत स्कीमें

(i) <u>शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना के तहत वक्फों को सहायता–अनुदान</u>

रिक्त वक्फ भुमि को अतिक्रमण कर्ताओं से बचाने तथा कल्याणकारी क्रियाकलापों में विस्तार देकर आय सृजन हेतु इस भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन से विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वक्फ परिसद द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974–75 से किया जा रहा है, जिसके लिए परिषद को केन्द्र सरकार से वार्षिक आधार पर सहायता अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत देश भर में विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भवन जैसे– वाणिज्यिक परिसर, मेरिज–हॉल, अस्पताल, शीत भंडार गृह आदि बनाने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा आसान किश्तों में किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त धनराशि से परिसद के रिवाल्विंग फंड का सृजन होता है, जिसे लघु परियोजनाओं को वित्त पाषित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1974 से मार्च, 2010 तक कुल 34.66 करोड़ रु0 राशि का सहायता–अनुदान जारी किया

गया है, जिसके बाद केन्द्रीय वक्फ परिसद द्वारा 132 परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान की गयी है।

(ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान

वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में केन्द्रीय वक्फ परिषद (वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 के तहत गठित) को प्रशासनिक व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिषद को सुदृढ़ बनाना है। योजना को 23 जुलाई, 2009 को स्वीकृति मिली थी।

ग - अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम :

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधनमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है **(क)** शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और **(घ)** साम्प्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में यथापरिकल्पित निर्धारण योग्य मानी गई योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों में से 15% का निर्धारण अधिकांश योजनाओं के संदर्भ में कर लिया गया है।

अध्याय - II

वर्ष 2011-12 के लिए 2850 करोड़ रुपए का योजनागत बजटीय प्रावधान है । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान (ii) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (iii) प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (iv) एनएमडीएफसी को इक्विटि अंशदान (v) एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान (vi) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (vii) राज्य वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (viii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना के लिए 441 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् (i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति और (iv) अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिनके लिए 2409 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 के गैर–योजनागत बजटीय प्रावधान में 2 योजनाओं के लिए (वक्फों को सहायता–अनुदान की योजना के लिए 1.19 करोड़ रु0 और केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान के लिए 0.01 करोड़ रु0) अर्थात् 1.20 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण (वास्तविक उपलब्धियां) वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित नतीजे और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :–

परिणामी बजट 2011–12

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज अर्जन हेतु प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु।	-	200.00	-	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि के लिए 200 करोड़ रु0 जारी किया जाना।	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा अवसंरचनात्मक विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 150 शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान की जा सकेगी तथा 20000 छात्रवृत्तियां प्रदान	वर्ष 2011-12 के दौरान	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
							की जा सकेंगी। अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों की शैक्षिक अवसंरचना के साथ–साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा।		को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी।
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता	-	16.00	-	6000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता	6000 छात्रों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु कोचिंग दी जाएगी	वर्ष 2011-12 के दौरान	-
3	प्रचार सहित विकास कार्यक्रमों के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित	-	36.00	-	समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार–प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य	वर्ष 2011-12 के दौरान	-

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
	मूल्यांकन की योजना	सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना।				अध्ययन कराना। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा योजनाओं/ कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।	किया जाना।		
4	एनएमडीएफसी की इक्विटी के लिए योगदान	एनएमडीएफसी को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु सक्षम बनाने के लिए इसकी इक्विटी में योगदान।	-	115.00	-	इक्विटी अंशदान के रूप में 115 करोड़ रूपए	वर्ष 2011-12 के दौरान 74,100 लाभार्थियों को शामिल किया जाना है।	इक्विटी वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि इक्विटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 2. यदि राज्य सरकार गारंटी नहीं देते हैं 3. यदि राज्यों द्वारा ऋण वसूली की स्थिति ठीक नही रहती है। 4. यदि राज्य चैनलाइजिंग

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
									एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं।
5	एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	2.00	-	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2011–12 के दौरान	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं। 2. यदि राज्यों से उनके हिस्से का 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त नहीं होता है।
6.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0 फिल और पी0एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए।	-	52.00	-	756 नई अध्येतावृत्तियां	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	
7.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	5.00	-	शेष वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है।	वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्डों की आय में वृद्धि	वर्ष 2011–12 के दौरान	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
							होगी जिसे समुदाय के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।		
8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	महिलाओं को सशक्त करने तथा सेवाओं और अवसरों तक उनकी पंहुच हेतु उन्हें नेता की भूमिका निभाने हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	15.00	-	56850 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए।	अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और अपने स्थानीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/ संस्थानों की पहचान और उनकी जांच
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)								
9.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	140.00	-	55000 छात्रवृत्तियां	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
10.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने, स्कूल शिक्षा में सहायता के लिए माता-पिता के वित्तीय बोझ को कम करने तथा छात्रों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करने के लिए सक्षम बनाना।	-	600.00	-	27 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
11.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	भारत में 11वीं कक्षा से लेकर पीएच.डी तक की उच्चतर शिक्षा तथा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 11वीं और 12वीं स्तर की तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए	-	450.00	-	5.25 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
12.	अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास	अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति	-	1219.00 (सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत सूचना	-	अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित जिलों में से अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से	समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश	वर्ष 2011–12 के दौरान	लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा जिला

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/ प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी. आर. बजट				
	कार्यक्रम	के मध्य के विकास अंतराल को कम करने के लिए		प्रौद्योगिकी के लिए 0.60 करोड़ रु0 शामिल)		संबंधित जिला योजनाओं को पूर्णतः अनुमोदित करने के प्रयास किए जाएंगे तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे।	आदि की स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।		योजनाओं प्रस्ताओं को भेजे जाने पर निर्भर है तथा स्वीकृत कार्यक्रमों को आनलाइन
13.	वक्फों को सहायता–अनुदान	शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता	1.19	–	–	अधिक आय सृजन के लिए वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया जाना।	निर्धन मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वक्फ परिसंपत्तियों से अतिरिक्त धनराशि सृजित होगी।	वर्ष 2011–12 के दौरान	
14.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता	0.01	–	–	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान	योजना तैयार की जा रही है।
			1.20	**2850.00**	-				

अध्याय - III

नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 5 समुदायों को अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशेषकर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(i) **अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम :** अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं **(क)** शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और **(घ)** सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(ii) **शिक्षा :** इस मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार पर बल दिया है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि और नई योजनाएं शुरु करने के उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति । इन योजनाओं के उद्देश्य और अनुमानित निष्कर्ष अध्याय-II में

दिए गए हैं । इन योजनाओं के साथ–साथ 'निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना' के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए निर्धारित है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा छात्रावासों तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार की योजना और अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा में दो वर्ष के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iii) रोजगार के अवसर :

(क) राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से इसकी पुनर्संरचना की अनुसंशा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विशेषज्ञदल की अनुशंसाओं के आधार पर तथा अंतर विभागीय परामर्शन के बाद सरकार ने एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना हेतु 'सिद्धान्तः' स्वीकृति प्रदान कर दी है। ब्यौरे तैयार करने के लिए परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी में वृद्धि की जा रही है ताकि एनएमडीएफसी के कार्य–क्षेत्र में विस्तार लाया जा सके तथा लक्षित वर्ग के अधिक लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके।

(ख) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना : इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ छात्राओं के लिए निर्धारित है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक बहुल जिले : सामाजिक–आर्थिक स्तर तथा आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे रहने को आधार मानकर वर्ष 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आकड़े के आधार पर वर्ष 2007 में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की गई थी। इन जिलों में 'अपर्याप्त विकास" के कारणों के समाधान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया था। इन जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या के समाधान के लिए एक बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा उसे स्वीकृति मिलने के बाद वर्ष 2008–09 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

(v) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

महिलाओं को सशक्त बनाना समता मात्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु इससे गरीबी में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने संबंधी जंग में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निर्धनता से ग्रस्त परिवार में महिलाएं और बच्चे ही

सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिन्हें मदद की जरूरत होती है। महिलाओं, विशेषकर माताओं को सशक्त किया जाना अतिमहत्पूर्ण है क्योंकि ऐसी महिलाओं को ही घरों में रहकर बच्चों का पालन पोषण और चरित्र निर्माण करना होता है। महिलाओं को ज्ञान, कौशल और तकनीक प्रदान कर उनमें विश्वास की भावना जागृत करने और सशक्त बनाने की एक योजना **अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना** शुरू की गयी है, ताकि महिलाएं सरकारी प्रणाली, बैंको और मध्यस्थों से सभी स्तर पर वार्तालाप कर सकें और अपने घर और समाज की दहलीज से बाहर आकर सेवओं का लाभ लेने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सके और नेता की भूमिका निभा सकें और विकास में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें।

(vi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्पयूटरीकरण की योजना से वक्फ बोर्डों के कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्ड अपने औक्फ पर निगरानी रख सकेंगे, परिसंपत्ति संबंधी सूचनाओं और आकड़ों को अद्यतन रख सकेंगे, अतिक्रमण रोक सकेंगे, वक्फ परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर नजर रख सकेंगे, कानूनी वादों को समय से लड़ सकेंगे और रिकार्डों के रख–रखाव और प्रबंधन कार्य को कारगर बना सकेंगे। कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालय के परामर्शन में विकसित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए *अब तक 23 राज्य वक्फ बोर्डों को धनराशि जारी की गयी है।*

सुधार कार्य/सुधार के उपाय

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(I) राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

i) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एनएमडीएफसी और भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

ii) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तथा एनएमडीएफसी की मद में दिए जाने वाले योगदान को जारी करने के लिए राज्य सरकारों से निरंतर आग्रह किया जाता रहता है।

iii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्य निष्पादन और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने संबंधी एक योजना शुरू की गई थी।

iv) एनएमडीएफसी को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति ने एनएमडीएफसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा की थी तथा निगम को पुनर्गठित करने संबंधित अपनी अनुशंसाएं की थीं। विस्तृत अध्ययन करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परामर्शक की सेवा ली गयी थी।

(II) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) :

i) प्रतिष्ठान की संचित निधि में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) की शेष अवधि (2011–12) के दौरान और वृद्धि की जानी है।

(ii) संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान तथा छात्राओं को छात्रवृत्तियां दिए जाने संबंधी संभी महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध होगी।

(iii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के संसाधनों को राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार बराबर–बराबर आंवटित किया गया है, ताकि उन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बराबर–बराबर संवितरित किया जा सके।

(iv) मूल्यांकन–सह–परिसंपत्ति सत्यापन संबंधी अध्ययन किया गया।

(III) विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी हेतु बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना से संबंधित दिशा–निर्देशों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है।

छ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

ज) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट **http//www.minorityaffairs.gov.in** से जोड़ा गया है।

689 MA/2011—4

अध्याय - IV

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2009-10 का विवरण

(करोड़ रुपए मे)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	2009-10	115.00	115.00	200 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 15,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	105 गैर सरकारी संगठनों को 13.36 करोड़ रु0 का ऋण तथा छात्राओं को 15070 छात्रवृत्तियां (18.08 करोड़ रु0) संवितरित की गई।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2009-10	125.00	125.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 66000 लाभार्थियों को 176 करोड़ रु0 राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 1,04,594 लाभार्थियों को 197.74 करोड़ रु0 का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2009-10	2.00	2.00	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	एनएमडीएफसी को 2 करोड़ रु0 जारी किए गए।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2009-10	12.00	11.22	5000 छात्रों को काचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	5532 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 49 संस्थानों को धनराशि जारी की गई।
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के	2009-10	13.00	11.97	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और	एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। सामाजिक आमेलन, कोचिंग, छात्रवृत्ति तथा

	अनुसंधान / अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना				अनुसंधान / अध्ययन कराना।	मंत्रालय की अन्य योजनाओं / कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन देश भर में अंग्रेजी के 172, हिन्दी के 536, उर्दू के 320 और स्थानीय भाषा के 353 समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराए गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार भारती) पर भी आडियो–विजवल अभियान चलाए गए। अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रभाव अध्ययन पर अधारित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2009-10	100.00	97.42	42,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	35,982 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 11684 छात्राओं के लिए थीं, (19,285 नए मामले और 16,697 नवीकरण के मामले थे।)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2009-10	200.00	202.74	मूल लक्ष्य– 22 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना जिसे संशोधित कर 15 लाख किया गया।	17.29 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 5.88 लाख छात्राओं के लिए थी।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2009-10	150.00	148.67	मूल लक्ष्य– 7 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना जिसे संशोधित कर 3 लाख किया गया।	3.64 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई, जिनमें से 1.49 लाख छात्राओं के लिए थी।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2009-10	989.50	971.94	अल्पसंख्यक बहुल जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदित किया जाना।	अल्पसंख्यक बहुल जिलों से संबंधित कुल 80 जिला योजनाओं को (19 जिला योजनाओं को पूर्णतः और 61 जिला योजनाओं को आंशिक तौर पर) स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत

						मदों में शामिल हैं :– इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाडी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षाएं, स्कूल भवन, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलीटेक्नीक आदि।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2009-10	15.00	14.90	756 अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गयी।
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2009-10	10.00	8.06	योजना के तहत 30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है (जम्मू और कश्मीर तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद सहित)	11 राज्य वक्फ बोर्डों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद को 8.06 करोड़ रु0 की राशि जारी की गयी।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	2009-10	8.00	0.00	32950 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2010–11 में शुरू हुआ है।
13.	सचिवालय	2009-10	0.50	0.49	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रोद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
14.	वक्फ को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2009-10	1.50	1.50	कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि लाने हेतु और अधिक आय अर्जित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक तौर पर विकसित करना।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत
15	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2009-10	0.01	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिल गयी थी।

वर्ष 2010–11 का विवरण (31.12.2010 तक)

(करोड़ रु0 में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2009 तक (अनंतिम)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि, 31 दिसम्बर, 2010 तक
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	2010-11	125.00	125.00	150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 18,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	फरवरी, 2010 में 17326 छात्रवृत्तियां स्वीकृत हुई थीं।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2010-11	115.00	115.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 87984 लाभार्थियों को 190 करोड़ रु0 राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 1,00,434 लाभार्थियों को 168.53 करोड़ रु0 का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2010-11	4.00	3.83	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	एनएमडीएफसी को 34 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए 3.83 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2010-11	15.00	11.07	5760 छात्रों को काचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	4,725 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 संस्थानों को धनराशि जारी की गई।
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2010-11	22.00	14.88	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। मंत्रालय की छात्रवृत्ति और कोचिंग से संबंधित विज्ञापन देश भर में अंग्रेजी के 194, हिन्दी के 631, उर्दू के 495 और स्थानीय भाषा के 473 समाचार–पत्रों

						में प्रकाशित कराए गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार भारती) पर भी आडियो–विजवल अभियान चलाए गए। मंत्रालय की विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर नियुक्त किए गए।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2010-11	135.00	97.22	55,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	36,932 छात्रवृत्तियां (18,505 नए मामले और 18,427 नवीकरण के मामले थे) प्रदान की गई जिनमें से 12370 छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2010-11	450.00	343.54	20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	34 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 16.16 लाख छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थी।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2010-11	265.00	184.24	4.00 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना।	4.20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिनमें से 2.13 लाख छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थी।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2010-11	1399.50 (संशोधित अनुमान स्तर पर 1327.32)	572.38	अल्पसंख्यक बहुल 40 जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदित किया जाना।	अल्पसंख्यक बहुल जिलों से संबंधित कुल 89 जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन 89 जिला योजनाओं में से दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक 41 जिला योजनाओं को पूर्णतः तथा 48 जिला योजनाओं को आंशिक स्वीकृति प्रदान की गयी। कोकराझार जिले की एक योजना को कानूनीवाद के कारण रोका गया है। स्वीकृत मदों में इंदिरा आवास योजना के

						मकान, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति योजनाएं, अतिरिक्त कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2010-11	30.00	0.00	756 अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जानी है।
11.	वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2010-11	13.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर 6.00)	3.13	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।	12 राज्य वक्फ बोर्डों को 3.13 करोड़ रु0 की राशि जारी की गयी है।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	2010-11	15.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर 5.00)	0.00	32950 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2010–11 में शुरू हुआ है।
13.	सचिवालय	2010-11	0.50	0.34	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रोद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
14.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना	2010-11	2.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर 0.02)	-	–	योजना आयोग से सिद्वान्तत स्वीकृति न मिलने के कारण योजना तैयार नहीं की जा सकी।
15.	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	2010-11	1.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर 0.05)	-	–	– तदैव –
16.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की	2010-11	1.00 (संशोधित	-	–	– तदैव –

	आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना		अनुमान स्तर पर 0.01)			
17.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2010:11	7.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर 0.10)	-	–	– तदैव –
18.	वक्फ को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2010-11	1.50 (संशोधित अनुमान स्तर पर 1.02)	0.00	कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि लाने हेतु और अधिक आय अर्जित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक तौर पर विकसित करना।	केन्द्रीय वक्फ परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
19.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2010:11	0.01	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी।

अध्याय V

अध्याय V(क)

वित्तिय समीक्षा – बजट अनुमान वर्ष 2011–12 तथा बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान वर्ष 2010–11 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2010-11)			संशोधित अनुमान (2010-11)			बजट अनुमान (2011-12)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
	राजस्व खंड										
1	सचिवालय	2251	0.50	6.60	7.10	0.50	6.60	7.10	0.60	7.16	7.76
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	0.00	5.26	5.26	0.00	5.19	5.19	0.00	5.65	5.65
3	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	0.00	2.00	2.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.99	1.99
4	वक्फ को सहायता–अनुदान	2235	0.00	1.50	1.50	0.00	1.02	1.02	0.00	1.19	1.19
5	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	2235	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	2225	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	200.00	0.00	200.00
7	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	2225	13.00	0.00	13.00	13.48	0.00	13.48	14.48	0.00	14.48
		3601	0.35	0.00	0.35	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		3602	0.15	0.00	0.15	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		2552	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
			15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	16.00	0.00	16.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2010-11)			संशोधित अनुमान (2010-11)			बजट अनुमान (2011-12)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
8	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2225 (प्रचार)	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	30.00	0.00	30.00
	*व्यावसायिक सेवाएं	*2225	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	5.70	0.00	5.70
		*2552	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.30	0.00	0.30
			22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	36.00	0.00	36.00
9	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2225	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	1.80	0.00	1.80
		2552	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20
			4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	26.98	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	46.98	0.00	46.98
		3601	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		3602	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		2552	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00
			30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	52.00	0.00	52.00
11	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2235	11.70	0.00	11.70	5.98	0.00	5.98	4.80	0.00	4.80
		2552	1.30	0.00	1.30	0.02	0.00	0.02	0.20	0.00	0.20
			13.00	0.00	13.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2010-11)			संशोधित अनुमान (2010-11)			बजट अनुमान (2011-12)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	2235	13.30	0.00	13.30	4.97		4.97	13.48	0.00	13.48
		3601	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		3602	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		2552	1.50	0.00	1.50	0.01	0.00	0.01	1.50	0.00	1.50
			15.00	0.00	15.00	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00.
*13	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों में ब्याज में छूट	2235	1.80	0.00	1.80	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2552	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
			2.00	0.00	2.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
*14	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	2225	0.40	0.00	0.40	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2235	0.40	0.00	0.40	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		3601	0.05	0.00	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		3602	0.05	0.00	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2552	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
			1.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
*15	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	1.00	0.00	1.00	0.01	-	0.01	0.00	0.00	0.00
16	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2225	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.50	0.00	0.50
		3601	119.82	0.00	119.82	119.82	0.00	119.82	124.00	0.00	124.00
		3602	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
		2552	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	14.00	0.00	14.00
			135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	140.00	0.00	140.00
* योजना वर्ष 2011–12 के वार्षिक योजना शामिल नहीं किया गया है											

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2010-11)			संशोधित अनुमान (2010-11)			बजट अनुमान (2011-12)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
17	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	10.00	0.00	10.00	7.80	0.00	7.80	8.50	0.80	8.50
		3601	1223.20	0.00	1223.20	1161.49	0.00	1161.49	1054.10	0.00	1054.10
		3602	12.00	0.00	12.00	10.00	0.00	10.00	15.00	0.00	15.00
		2552	154.30	0.00	154.30	148.03	0.00	148.03	140.80	0.00	140.80
			1399.50	0.00	1399.50	1327.32	0.00	1327.32	1218.40	0.00	1218.40
18	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	2225	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00
		3601	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	533.00	0.00	533.00
		3602	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00
		2552	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	60.00	0.00	60.00
			450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	600.00	0.00	600.00
19	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	2225	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00
		3601	234.50	0.00	234.50	234.50	0.00	234.50	398.00	0.00	398.00
		3602	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00
		2552	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	45.00	0.00	45.00
			265.00	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	450.00	0.00	450.00

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2010-11)			संशोधित अनुमान (2010-11)			बजट अनुमान (2011-12)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
*20	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2225	0.25	0.00	0.25	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		2235	0.05	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		3601	5.50	0.00	5.50	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		3602	0.50	0.00	0.50	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		2552	0.70	0.00	0.70	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
			7.00	0.00	7.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	योग (राजस्व खंड)		**2485.00**	**15.37**	**2500.37**	**2385.00**	**14.50**	**2399.50**	**2735.00**	**16.00**	**2751.00**
	पूंजीगत खंड										
21	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	4225	103.50	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50
		4552	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50
			115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00
	योग (पूंजीगत खंड)		115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00
	कुल योग= (राजस्व + पूंजीगत) खंड		**2600.00**	**15.37**	**2615.37**	**2500**	**2500**	**2514.50**	**2850.00**	**16.00**	**2866.00**

* योजना वर्ष 2011–12 के वार्षिक योजना शामिल नहीं किया गया है

अध्याय V(ख)

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2010–11 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2007-08)	वास्तविक व्यय (2007-08)	परिव्यय (2008-09)	वास्तविक व्यय (2008-09)	परिव्यय (2009-10)	वास्तविक व्यय (2009-10)	परिव्यय (2010-11)	31 दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय (अनंतिम)
	गैर–योजनागत								
1	सचिवालय–सामाजिक सेवा	3.91	4.09	5.26	4.87	7.24	6.30	6.60	4.82
2	अन्य सामाजिक सेवाएं								
i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	4.40	3.22	4.04	4.24	5.28	4.49	5.26	3.38
ii)	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.43	1.08	1.53	1.43	1.98	1.74	2.00	0.86
iii)	एनसीआरएलएम	0.19	0.43	-	-	-	-	-	-
3	i) वक्फ को सहायता–अनुदान	2.90	2.90	3.00	0.00	1.98	1.50	1.50	0.00
	ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	-	-	-	-	0.01	0.00	0.01	0.00
	iii) राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता–अनुदान	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग =	**12.83**	**11.72**	**13.83**	**10.54**	**16.50**	**14.03**	**15.37**	**9.06**

क्रम सं.	स्कीम/योजना का नाम	परिव्यय (2007-08)	वास्तविक व्यय (2007-08)	परिव्यय (2008-09)	वास्तविक व्यय . (2008-09)	परिव्यय (2009-10)	वास्तविक व्यय (2009-10)	परिव्यय (2010-11)	31 दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय (अनंतिम)
	योजनागत								
क	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	50.00	50.00	60.00	60.00	115.00	115.00	125.00	125.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	10.00	5.74	10.00	7.30	12.00	11.22	15.00	11.07
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	70.00	70.00	75.00	75.00	125.00	125.00	115.00	115.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	6.00	10.48	5.00	7.97	13.00	11.97	22.00	14.88
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	10.00	10.00	5.00	0.00	2.00	2.00	4.00	3.83
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	-	-	-	-	8.00	0.00	15.00	-
7	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	-	-	-	-	15.00	14.90	30.00	-
8	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	-	-	-	-	10.00	8.06	13.00	3.13
9	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना*	-	-	-	-	-	-	2.00	-

क्रम सं.	स्कीम/योजना का नाम	परिव्यय (2007-08)	वास्तविक व्यय (2007-08)	परिव्यय (2008-09)	वास्तविक व्यय . (2008-09)	परिव्यय (2009-10)	वास्तविक व्यय (2009-10)	परिव्यय (2010-11)	31 दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय (अनंतिम)
10	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप *	-	-	-	-	-	-	1.00	-
11	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना*	-	-	-	-	-	-	1.00	-
	उप–योग - (सीएस))=	**146.00**	**146.22**	**155.00**	**150.27**	**300.00**	**288.15**	**343.00**	**272.91**
ख	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)**								
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	54.00	40.80	124.90	64.73	100.00	97.42	135.00	97.22
2	चुन्निदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	120.00	0.00	539.80	270.85	989.50	971.94	1399.50	572.38
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	80.00	0.00	79.90	62.21	200.00	202.74	450.00	343.54
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	100.00	9.63	99.90	70.63	150.00	148.67	265.00	184.24
5	सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा	-	-	0.50	0.34	0.50	0.49	0.50	0.33
6	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण *	-	-	-	-	-	-	7.00	-
	उप–योग (सीएसएस)=	**354.00**	**50.43**	**845.00**	**468.75**	**1440.00**	**1421.26**	**2250**	**1197.71**
	कुल योग (क + ख) =	**500.00**	**196.65**	**1000.00**	**619.02**	**1740.00**	**1709.41**	**2589**	**1470.62**
	* योजना आयोग से सिद्धान्ततः स्वीकृति नहीं मिल सकी।								

अध्याय–V (ग)

वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के साथ–साथ व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण

2007–08

(करोड़ रु0 में)

	बजट आकलन 2007-08	संशोधित आकलन 2007–08	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	500.00	350.00	196.65	39.33	56.19
राजस्व	430.00	280.00	126.65	29.45	45.23
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
राजस्व	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
पूंजीगत	-		-		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	512.83	362.83	208.38	40.63	57.43
राजस्व	442.83	292.83	138.38	31.24	47.26
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00

वर्ष 2008-09

(करोड़ रुपए में)

	बजट आकलन 2008-09	संशोधित आकलन 2008–09	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	1000.00	650.00	619.02	61.90	95.23
राजस्व	925.00	575.00	544.02	58.81	94.61
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
राजस्व	13.83	14.38	10.54	76.21	73.30
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1013.83	664.38	629.56	62.10	94.76
राजस्व	938.83	589.38	554.56	59.07	94.09
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00

2009–10

(करोड़ रु0 में)

	बजट आकलन 2009-10 (करोड़ में)	संशोधित आकलन 2009-10 (करोड़ में)	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	1740	1740	1709.41	98.24	98.24
राजस्व	1615	1615	1584.41	98.11	98.11
पूंजीगत	125	125	125.00	100	100
गैर-योजनागत में से	16.50	15.50	14.03	85.03	90.52
राजस्व	16.50	15.50	14.03	85.03	90.52
पूंजीगत	-		-		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1756.50	1755.50	1723.44	98.12	98.17
राजस्व	1631.50	1630.50	1598.44	97.97	98.03
पूंजीगत	125.00	125.00	125.00	100	100

2010–11 (31 दिसम्बर, 2011 तक)

(करोड़ रु0 में)

	बजट आकलन 2010-11 (करोड़ में)	संशोधित आकलन 2010-11 (करोड़ में)	वास्तविक व्यय (31.12. 2011 तक) (अनंतिम)	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	2600	2500	1470.28	56.55	58.81
राजस्व	2485	2385	1355.28	54.54	56.82
पूंजीगत	115	115	115.00	100	100
गैर-योजनागत में से	15.37	14.50	9.06	58.95	62.48
राजस्व	15.37	14.50	9.06	58.95	62.48
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	2615.37	2514.50	1479.34	56.56	58.84
राजस्व	2500.37	2399.50	1364.34	54.57	56.86
पूंजीगत	115.00	115.00	115.00	100.00	100.00

अध्याय–V (घ)

राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.4.2009 और 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति

(करोड़ रु0 में)

01.4.2010 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	01.4.2010 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि	01.4.2010 के अनुसार शेष बची राशि	31.12.2010 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	31.12.2010 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि	31.12.2010 के अनुसार शेष बची राशि
53	45.47 करोड़ रु0	1290.97 करोड़ रु0	39	24.11 करोड़ रु0	1376.56 करोड़ रु0

अध्याय - VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इन संगठनों की जवाबदेही निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है :

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढावा देता है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं - स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैरे–सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना। सूचारू कार्य सुनिश्चित करने, जवाबदेहिता और पारदर्शिता में वृद्धि लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

i) तिमाही समीक्षा/पुनरीक्षा की जा रही है।

(ii) कर्मचारी संरचना को पुनर्गठित कर सांगठनिक ढ़ांचे को मजबूत किया जा रहा है। बेहतर प्रबंधन और जवाबदेहता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में केन्द्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

(iii) प्रतिष्ठान को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सके। बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां और गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान संबंधी सभी सूचनाएं प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(iv) प्रतिष्ठान की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित एक मूल्यांकन एवं परिसंपति सत्यापन अध्ययन वर्ष 2009–10 में भारतीय सामाजिक संस्थान द्वारा कराया गया था। एजेंसी ने अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसा की थी कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाए, महत्वपूर्ण आकड़ों को कम्यूटरीकृत किया जाए तथा धनराशि को समुचित रूप में उपयोग में लाया जाए। इन अनुशंसाओं के आधार पर प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की गयी है, इसके प्रमुख क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा निरीक्षण प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है।

(v) प्रतिष्ठान की योजना और कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठान के संसाधनों का संवितरण राज्य–वार ढंग से किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 से पहले मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान की योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते थे। वर्ष 2008–09 से लक्ष्य निर्धारण का यह कार्य प्रतिष्ठान द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(vi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जून, 2010 में हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें लक्ष्यों का उल्लेख है।

****

MGIPRRND—689 MA/2011—1,000.